ए.

एक्स

बनाम

राजकीय सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और ए. एन. आर.

(2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12612)

बी.

21 जुलाई, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सूर्या कांत और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 -धारा 3 (2) (बी), नियम 3 बी-गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम 2003-एक अविवाहित महिला की गर्भावस्था की समाप्ति-याची सहमति से संबंध में थी और जून 2022 के महीने में उसे पता चला कि वह गर्भवती है (22 सप्ताह)-याची ने कहा कि आजीविका के स्रोत के अभाव में, वह एक बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ होगी-याची ने अपने साथी द्वारा छोड़ दिया-उसने गर्भावस्था को समाप्त करने का फैसला किया-उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका-उच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया-अपील पर कहा:याची को अवांछित गर्भधारण से पीड़ित होना देना कानून के इरादे के विपरीत होगा-याची को इस आधार पर एम. टी. पी. अधिनियम के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह अविवाहित महिला है-विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद मूल उद्देश्य और उद्देश्य के साथ संबंध नहीं रखता है जिसे संसद द्वारा विशेष रूप से स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की जाती है।3 एम. टी. पी. अधिनियम-गर्भपात को सुरक्षित रूप से करने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया गया था-उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश में संशोधन किया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन **(2009)**

9 एससीसी 1:[2009] 13 एससीआर 989; न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी

() और ए**.** एन**.** आर**.** वी**.**भारत संघ और अन्य। **(2017) 10**

एससीसी **1:[2017] 10** एससीआर **569, (2016)** एससीसी ऑनलाइन बॉम

8426; एस**.** खुशबू बनाम कन्नियम्मल **(2010) 5** एस**.** सी**.** सी**. 600:**

[2010] 5 एस**.** सी**.** आर**. 322-**निर्भर।

जी.

अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम महाराष्ट्र राज्य पर उच्च न्यायालय

2017 सी**.** आर**.** आई**.** एल**.** जे**. 218 (**बॉम एच**.** सी**.)-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय
[2009] 13 एस**.** सी**.** आर**. 989** पर भरोसा किया गया

पैरा **19**

एच.

246 ए.

247

एक्स. द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर डिपार्टमेंट ए

[2017] 10 एस**.** सी**.** आर**. 569** पर निर्भर

पैरा **19**

[2010] 5 एससीआर **322**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **20**

एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12612।

2022 के सी. एम. आवेदन No.30708 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.07.2022 से 2022 के डब्ल्यू. पी. (सी) 10602 में।

बी.

डॉ. अमित मिश्रा, राहुल शर्मा, अधिवक्तागण याची के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., सुश्री दीपावली दत्ता, केतन पॉल, अमन शर्मा, बी. एल. एन. शिबानी, जी. एस. मक्कर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. नोटिस जारी करें।

डी.

2. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री जी. एस. मक्कर, ए. ओ. आर. के साथ, दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से नोटिस स्वीकार करती हैं।3. हमने याची की ओर से पेश वकील डॉ. अमित मिश्रा को सुना है।हमने सुश्री ऐश्वर्या भाटी से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 (2) (बी) 1 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स 2003 2 के नियम 3 बी के व्याख्यात्मक पहलुओं पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया है।

ई.

4. याची मणिपुर का स्थायी निवासी है और कहा जाता है कि वह वर्तमान में दिल्ली में रह रहा है।याची ने कहा है कि वह सहमति से रिश्ते में थी और जून 2022 के महीने में उसे पता चला कि वह गर्भवती थी।5 जुलाई 2022 को, एक अल्ट्रासाउंड स्कैन से बाईस सप्ताह की अवधि की एकल अंतर्गर्भाशयी गर्भावस्था का पता चला।याची ने गर्भावस्था को समाप्त करने का फैसला किया; उसका रिश्ता विफल हो गया है।उसने कहा है कि वह पाँच भाई-बहनों में सबसे बड़ी है और उसके माता-पिता कृषक हैं।याची ने कहा है कि उसके पास बीए की डिग्री है और आजीविका के स्रोत के अभाव में वह एक बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ होगी।उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

एफ.

जी.

1 “एम. टी. पी. अधिनियम 2 "एम. टी. पी. नियम"

एच.

5. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 15 जुलाई 2022 के एक आदेश द्वारा केवल याचिका की प्रार्थना सी तक सीमित नोटिस जारी किया, जिसमें याची ने एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के प्रावधानों के संदर्भ में गर्भावस्था की समाप्ति के लिए एम. टी. पी. नियमों के नियम 3 बी के दायरे में एक अविवाहित महिला को शामिल करने का निर्देश देने की मांग की है।

बी.

6. याचिका के प्रार्थना ए या प्रार्थना बी पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है जो प्रभावी रूप से खारिज हो जाता है।

7. संदर्भ की सुविधा के लिए, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका की प्रार्थना ए, बी और सी नीचे दी गई हैंः

सी.

"उ. याची को किसी भी अनुमोदित निजी या सरकारी केंद्र या अस्पताल में पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों के माध्यम से उसकी चल रही गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दें क्योंकि उसके बाद उसकी राहत निष्फल होगी क्योंकि उस समय तक गर्भावस्था लगभग 24 सप्ताह की होगी।

डी.

बी. प्रत्यर्थी को दिल्ली के सरकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा पंजीकृत किसी भी अनुमोदित निजी केंद्र या अस्पताल में याची या किसी भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या आपराधिक कार्यवाही करने से रोकें;

ई.

ग. प्रत्यर्थी को एम. टी. पी. अधिनियम की उप-धारा (2) धारा 3 के खंड (बी) के तहत गर्भावस्था की समाप्ति के लिए अविवाहित महिला को भी चिकित्सा गर्भपात नियम 2003 (21.10.2021 पर संशोधित) के नियम 3 बी के दायरे में शामिल करने का निर्देश दें।

एफ.

याची ने 18 जुलाई 2022 को अपनी गर्भावस्था के 24 सप्ताह पूरे कर लिए हैं।

8. एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार हैः

"3. जब पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है।-

जी.

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी उस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, यदि कोई गर्भावस्था ए.

एच.

249

एक्स. द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर डिपार्टमेंट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा समाप्त किया गया।

(2) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है-(ए) जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसा चिकित्सा व्यवसायी है, या

बी.

(ख) जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक है, लेकिन महिला की ऐसी श्रेणी के मामले में चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है, जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, यदि कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सक, अच्छी राय में गठित हैं, तो -

सी.

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी; या

डी.

((ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ था, तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होगा।

स्पष्टीकरण 1.—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई गर्भावस्था किसी महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के उद्देश्य से उपयोग किए गए किसी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप होती है, ऐसी गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है।

ई.

एफ.

स्पष्टीकरण 2.—खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां गर्भवती महिला द्वारा बलात्कार के कारण कोई गर्भावस्था होने का आरोप लगाया जाता है, गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जाएगा।

जी.

(2 ए) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए मानदंड जिनकी राय अलग-अलग गर्भावस्था की उम्र में गर्भपात के लिए आवश्यक है, वे इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

एच.

(2 बी) गर्भावस्था की अवधि से संबंधित उप-धारा (2) के प्रावधान चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था की समाप्ति पर लागू नहीं होंगे, जहां चिकित्सा बोर्ड द्वारा निदान की गई किसी भी महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताओं के निदान के कारण ऐसी समाप्ति आवश्यक है।

(2 ग) प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक बोर्ड का गठन करेगा जिसे मेडिकल बोर्ड कहा जाएगा जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

बी.

(2(घ) चिकित्सा बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:— (क) स्त्री रोग विशेषज्ञ;

सी.

(ख) एक बाल रोग विशेषज्ञ;

(ग) रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट; और

डी.

(घ) सदस्यों की ऐसी अन्य संख्या जो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

(3) यह निर्धारित करने में कि क्या गर्भावस्था के जारी रहने से स्वास्थ्य को नुकसान होने का ऐसा जोखिम होगा जैसा कि उप-धारा (2) में उल्लेख किया गया है, गर्भवती महिला के

वास्तविक या यथोचित रूप से पूर्वानुमेय वातावरण को ध्यान में रखा जा सकता है।(4) (क) अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करने वाली महिला या अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की गर्भावस्था को उसके अभिभावक की लिखित सहमति के अलावा समाप्त नहीं किया जाएगा।

ई.

एफ.

(ख) खंड (क) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, गर्भवती महिला की सहमति के अलावा किसी भी गर्भावस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा।"

9. धारा 3 की उप-धारा (2) का खंड (ए) गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति देता है जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है।खंड (बी) गर्भपात की अनुमति देता है जहां गर्भावस्था की अवधि बीस सप्ताह से अधिक है लेकिन महिलाओं की ऐसी श्रेणियों के लिए चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।हालांकि, कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा एक राय बनाई जानी चाहिए कि अन्य बातों के साथ-साथ "गर्भावस्था की निरंतरता ए"

जी.

एच.

251

एक्स. द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर डिपार्टमेंट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

गर्भवती महिला के जीवन के लिए जोखिम या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट शामिल होगी।

10. धारा 3 के स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि खंड (ए) के प्रयोजन के लिए, जहां किसी महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के उद्देश्य से उपयोग किए गए किसी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था हुई है, ऐसी गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जाएगा।स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट रूप से खंड (ए) को अर्हता प्रदान करता है लेकिन खंड (बी) को नहीं।

बी.

11. एम. टी. पी. नियमों का नियम 3 बी एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसरण में बनाया गया है। नियम 3 बी इस प्रकार हैः

सी.

“3 बी. महिलाएं चौबीस सप्ताह तक गर्भावस्था की समाप्ति के लिए पात्र हैं।- महिलाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को अधिनियम की उप-धारा (2) की धारा 3 के खंड (बी) के तहत चौबीस सप्ताह तक की अवधि के लिए गर्भपात के लिए पात्र माना जाएगा, अर्थात्:-

डी.

(क) यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार से बचे लोग; (ख) नाबालिग;

(ग) चल रही गर्भावस्था (विधवा और तलाक) के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन;

ई.

(घ) शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएँ [विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता];

(ई) मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं; (च) भ्रूण विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि बच्चा पैदा होता है तो वह गंभीर रूप से विकलांग होने के लिए ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है; और

एफ.

जी.

(छ) सरकार द्वारा घोषित मानवीय स्थितियों या आपदा या आपातकालीन स्थितियों में गर्भवती महिलाएं।”

12. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि याची एक अविवाहित महिला है जिसकी गर्भावस्था सहमति के संबंध से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसकी

एच.

मामला नियम 3 बी के उपरोक्त किसी भी खंड द्वारा "स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है" और इसके परिणामस्वरूप, धारा 3 (2) (बी) लागू नहीं होती है।

13. इस दलील पर कि नियम 3 बी, जहां तक एक अविवाहित महिला को बाहर करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है।हालाँकि, इसने माना कि अपने आदेश की तारीख तक, यह संविधान के अनुच्छेद

226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में नियम 3 बी के प्रावधानों से परे जाने के लिए खुला नहीं था।

बी.

14. प्रथम दृष्टया, उच्च न्यायालय के समक्ष संबोधित संवैधानिकता के मुद्दे के अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने नियम 3 बी के खंड (सी) के प्रावधानों के बारे में अनुचित प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। खंड (सी) एक चल रही गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन की बात करता है और कोष्ठक में इसके बाद "विधवा और तलाक" शब्द आते हैं।"वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन" अभिव्यक्ति को प्रतिबंधात्मक व्याख्या के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए।"विधवापन और तलाक" अभिव्यक्तियों को उससे पहले की श्रेणी के लिए संपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।

सी.

डी.

15. वैधानिक व्याख्या का मूल सिद्धांत यह है कि एक क़ानून के शब्दों को उनके पूरे संदर्भ में और उनके व्याकरणिक और सामान्य अर्थों में अधिनियम की योजना और विधायिका के इरादे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए।संसद ने 2021 के अधिनियम 8 के माध्यम से एम. टी. पी. अधिनियम में संशोधन करके अविवाहित महिलाओं और एकल महिलाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल करने का इरादा रखा। यह अधिनियम की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण I में 'पति' शब्द के स्थान पर 'भागीदार' शब्द रखने से स्पष्ट होता है।

ई.

16. स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जिसमें एक महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के उद्देश्य से उपयोग किए गए किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप एक अवांछित गर्भावस्था होती है।इसलिए, संसदीय इरादा स्पष्ट रूप से एम. टी. पी. अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों को केवल वैवाहिक संबंध से जुड़ी स्थिति तक सीमित नहीं रखना है।इसके विपरीत, "कोई भी महिला या उसका साथी" अभिव्यक्ति का संदर्भ इंगित करता है कि संसद द्वारा एक व्यापक अर्थ और आशय निर्धारित करने का इरादा किया गया है।क़ानून ने एक महिला की प्रजनन पसंद और उसकी शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता को मान्यता दी है।ये दोनों अधिकार इस धारणा को मूर्त रूप देते हैं कि बच्चे को जन्म देना है या नहीं, इस पर एक महिला में एक विकल्प होना चाहिए।अधिकार को मान्यता देने में विधायिका का इरादा ए नहीं है

एफ.

जी.

एच.

एक्स. द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर डिपार्टमेंट [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच अंतर करें, बच्चे को जन्म देना है या नहीं, इस पर निर्णय लेने की उसकी क्षमता में।यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

17. इस मामले में, याची प्रस्तुत करती है कि जून 2022 में अंतिम चरण में उसके साथी ने उसे छोड़ दिया था, जिससे उसे अपार मानसिक पीड़ा, आघात और शारीरिक पीड़ा हुई थी। अविवाहित महिलाओं और एकल महिलाओं को क़ानून के दायरे से बाहर रखना कानून के उद्देश्य के खिलाफ है।एम. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

बी.

"गर्भावस्था की समाप्ति से संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधानों को उदार बनाने का प्रयास करता है. (1) एक स्वास्थ्य उपाय के रूप में-जब महिला के जीवन या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो।"

सी.

18. 2021 के संशोधन से पहले और बाद के दो प्रावधानों के बीच तुलना नीचे सारणीबद्ध की गई हैः

डी.

ई.

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 'विवाहित महिला' वाक्यांश को 'किसी भी महिला' से बदल दिया गया था और 'पति' शब्द को 'साथी' से बदल दिया गया था।लेकिन जाहिर है, कानून में एक अंतर हैःजबकि धारा 3 विवाह के आधार पर पारंपरिक संबंधों से परे जाती है, एम. टी. पी. नियमों का नियम 3 बी अविवाहित महिलाओं से जुड़ी स्थिति की परिकल्पना नहीं करता है, लेकिन तलाकशुदा, विधवा, नाबालिग, विकलांग और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं और यौन हमले या बलात्कार से बचे लोगों जैसी महिलाओं की अन्य श्रेणियों को मान्यता देता है। अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने के अधिकार से वंचित करने का कोई आधार नहीं है, जबकि अन्य श्रेणियों की महिलाओं के लिए भी यही विकल्प उपलब्ध है।

एफ.

जी.

19. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक महिला का प्रजनन पसंद का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है।उसे शारीरिक अखंडता का पवित्र अधिकार है। सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन 3 में, इस न्यायालय ने माना है कि एक महिला का प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक आयाम हैः

3 (2009) 9 एससीसी 1

एच.

"22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक महिला का प्रजनन विकल्प चुनने का अधिकार भी "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का एक आयाम है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समझा जाता है।यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि प्रजनन विकल्पों का उपयोग प्रजनन के साथ-साथ प्रजनन से बचने के लिए किया जा सकता है।महत्वपूर्ण विचार यह है कि एक महिला के निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।इसका मतलब है कि प्रजनन विकल्पों के अभ्यास पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जैसे कि यौन गतिविधि में भाग लेने से इनकार करने का महिला का अधिकार या वैकल्पिक रूप से गर्भनिरोधक तरीकों के उपयोग पर जोर देना।"

बी.

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एन. आर. बनाम भारत संघ

सी.

और अन्य, 4 किसी महिला के प्रजनन करने या प्रजनन से दूर रहने के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने और निजता के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई हैः"298. [पी] शरीर की गोपनीयता एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार देती है।किसी की मानसिक अखंडता और गोपनीयता के बीच का प्रतिच्छेदन व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाते हैं जो उन सभी तत्वों की रक्षा करता है जो लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं।परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी व्यक्ति की गरिमा के

अभिन्न अंग हैं।इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की निजता यह निर्धारित करने के एक अलंघनीय अधिकार को मान्यता देती है कि स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे किया जाएगा।"

डी.

ई.

बंबई उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 5 पर उच्च न्यायालय में निम्नलिखित टिप्पणी की:

एफ.

"14. गर्भावस्था को समाप्त करने का एक महिला का निर्णय तुच्छ नहीं है।गर्भपात अक्सर एक महिला के लिए बहुत कठिन स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका होता है।गर्भपात एक महिला द्वारा सावधानीपूर्वक लिया गया निर्णय है जो इस बात से डरती है कि उसके पास पहले से मौजूद बच्चे और घर के अन्य सदस्यों के कल्याण के लिए वह सीमित वित्तीय और अन्य संसाधनों के साथ देखभाल करने के लिए बाध्य है, दूसरे बच्चे के जन्म से समझौता किया जा सकता है।ये जिम्मेदार महिलाओं द्वारा लिए गए निर्णय हैं जिनके पास कुछ अन्य विकल्प हैं।वे ऐसी महिलाएं हैं जो आदर्श रूप से एक को रोकने के लिए पसंद करतीं

जी.

4 (2017) 10 एससीसी 1

एच.

5 2017 सी. आर. आई. एल. जे. 218 (बम एच. सी.); (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 8426 ए

अवांछित गर्भावस्था, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थे।अगर कोई महिला ऐसा करती है

गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहते हैं, फिर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना महिला की शारीरिक अखंडता का उल्लंघन है और उसके मानसिक आघात को बढ़ाता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा।

(बल गया)

बी.

20. अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है।इस न्यायालय द्वारा लिव-इन संबंधों को मान्यता दी गई

है।एस. खुशबू बनाम कन्नियम्मल, 6 में इस न्यायालय ने कहा कि आपराधिक कानून को व्यक्तिगत स्वायत्तता के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।यह देखा गयाः

सी.

"46. हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारत में विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, हमें इस तथ्य के लिए भी अपना दिमाग खुला रखना चाहिए कि कुछ ऐसे व्यक्ति या समूह हैं जो समान विचार नहीं रखते हैं।यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश में कुछ स्वदेशी समूह हैं जिनमें वैवाहिक परिवेश के बाहर यौन संबंधों को एक सामान्य घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है।यहां तक कि

डी.

सामाजिक मुख्यधारा में, ऐसे लोगों की एक महत्वपूर्ण संख्या है जो विवाह से पहले यौन संबंध बनाने में कुछ भी गलत नहीं देखते हैं।सामाजिक नैतिकता की धारणाएं स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होती हैं और आपराधिक कानून का उपयोग व्यक्तिगत स्वायत्तता के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है।नैतिकता और अपराध सह-व्यापक नहीं हैं।"

ई.

(बल गया)

21. उपरोक्त परिसर में, हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं।इस बीच, हमारा विचार है कि याची को अवांछित गर्भधारण करने की अनुमति देना संसद द्वारा अधिनियमित कानून के इरादे के विपरीत होगा।इसके अलावा, कानून की उचित व्याख्या पर याची को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना, प्रथम दृष्टया, कानून के दायरे में आता है और याची को इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह एक अविवाहित महिला है।एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच अंतर मूल उद्देश्य और उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है जिसे संसद द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है जो विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों द्वारा व्यक्त किया जाता है। याची ने याचिका दायर की थी

एफ.

जी.

6 (2010) 5 एससीसी 600

एच.

गर्भावस्था के 24 सप्ताह पूरे करने से पहले उच्च न्यायालय।न्यायिक प्रक्रिया में देरी उसके पूर्वाग्रह के लिए काम नहीं कर सकती है।

22. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित विज्ञापन अंतरिम पारित करते हैं

आदेशः

(i) हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के निदेशक से 22 जुलाई 2022 के दौरान इस आदेश के पहले भाग में निकाले गए अधिनियम की धारा 3 (2 डी) के प्रावधानों के संदर्भ में एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करने का अनुरोध करते हैं; और

बी.

(ii) यदि चिकित्सा बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि याची के जीवन को खतरे में डाले बिना भ्रूण का गर्भपात किया जा सकता है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों की एक टीम उस अनुरोध के संदर्भ में गर्भपात करेगी जो उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया है और जिसे विशेष अनुमति याचिका और याची की ओर से पेश वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियों के दौरान दोहराया गया है।ऐसा करने से पहले याची की इच्छाओं का फिर से पता लगाया जाएगा और पहचान के उचित सत्यापन के बाद उसकी लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी।
23. इसके बाद एक सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश का पालन करने के बाद इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

सी.

डी.

ई.

24. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, 2 अगस्त 2022 को विशेष अनुमति याचिका को सूचीबद्ध करें।

25. अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश को उपरोक्त शर्तों में संशोधित किया जाएगा।

एफ.

अंकित ज्ञान

निर्देश जारी किए गए।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)।

जी.

एच.